छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक एफ 20–53/2013/11/(6) :: राज्य में औद्योगिक निवेश की गति को तीव्र करने हेतु Ease of Doing Business के तहत् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतों को भी एक सेवा के रूप में उद्योगों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित निम्नांकित योजनाओं को सेवा के रूप में घोषित किया जाता है व ये सेवाएं सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से प्रदाय की जावेगी तथा इनके निराकरण हेतु निम्नांकित समयावधि निर्धारित की जाती है :–

क्र.	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान योजनाएं	निराकरण की समयावधि
1.	स्टाम्प शुल्क से छूट अ– जिला स्तर पर ब– संचालनालय स्तर पर	 15 दिवस 21 दिवस
2.	पंजीयन शुल्क पर छूट	21 दिवस
3.	भू–डायवर्सन शुल्क में छूट हेतु अनुशंसा	21दिवस
4.	नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट बाबत् अनुशंसा	30 दिवस
5.	प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति	90 दिवस
6.	मंडी शुल्क छूट की स्वीकृति	90 दिवस
7.	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति	30 दिवस
8.	मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
9.	ब्याज अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
10.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति	90 दिवस
11.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
12.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान स्वीकृति	30 दिवस

----2--

13.	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
14.	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
15.	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
16.	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
17.	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति	90 दिवस
18.	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति	90 दिवस

आवेदक इकाई के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अपूर्ण (incomplete)/कमियाँ (Shortcomings) होने की दशा में 7 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र संबंधित इकाई को वापस कर दिया जायेगा। आवेदक इकाई अपूर्णता/कमियों की पूर्ति पश्चात् जिस तिथि को आवेदन पत्र पुनः प्रस्तुत करेगी, उस तिथि से समय–सीमा की गणना की जायेगी।

आवेदक इकाई को आवेदन पत्र अपूर्ण/कमियाँ होने के आधार पर केवल एक बार ही वापस किया जा सकेगा। इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रकरणों का निराकण संबंधित अधिसूचनाओं के अधीन होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 20–53/2013/11/(6) नया रायपुर दिनांक 27 जून 2015

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 उद्योग भवन, रायपुर
2. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग